न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

प्रक0 –04/2021(2021/00015)

उनवान : –

1. शंकरलाल पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
2. रामपाल पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. रणसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
2. रोशनी पुत्री रणसिंह जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मुंशीराम गोस्वामी **वादी**
श्री मनीष अग्रवाल **प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांकः 03/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम गुंजासरी के वर्तमान खाता संख्या 78/80 के खसरा न0 10 की 5.692 है0, खसरा न0 19/1 की 5.629 है0, खसरा न0 73/2 की 2.366 है0, खसरा न0 112/2 की 1.518 है0 कुल खसरा 4 की कुल 15.205 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 रणसिंह के नाम 3.289 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा सुरजाराम की खातेदारी हुआ करती थी। सुरजाराम से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी रणसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी रणसिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रणसिंह के नाम दर्ज होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रणसिंह को वादीगण के दादा सुरजाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। चालू जमाबन्दी ग्राम गुंजासरी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 78/80 से प्रमाणित है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:13:56 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 रोशनी वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी शंकरलाल पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी ग्राम गुंजासरी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 78/80 प्रदर्श 1, जमाबनदी ग्राम डूंगराना सम्वत 2071–74 खाता संख्या 182/179 प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया कि ग्राम डूंगराना के खाता संख्या 166/184 की कुल 7.348 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 रणसिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो प्रतिवादी रणसिंह स्वयं अपने नाम रखना चाहता है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा ग्राम गुंजासरी के वर्तमान खाता संख्या 78/80 के खसरा न0 10 की 5.692 है0, खसरा न0 19/1 की 5.629 है0, खसरा न0 73/2 की 2.366 है0, खसरा न0 112/2 की 1.518 है0 कुल खसरा 4 की कुल 15.205 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 रणसिंह के नाम 3.289 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम गुंजासरी के वर्तमान खाता संख्या 78/80 के खसरा न0 10 की 5.692 है0, खसरा न0 19/1 की 5.629 है0, खसरा न0 73/2 की 2.366 है0, खसरा न0 112/2 की 1.518 है0 कुल खसरा 4 की कुल 15.205 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 रणसिंह के नाम 3.289 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है **उसमें प्रतिवादी संख्या 1 रणसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 शंकरलाल व वादी संख्या 2 रामपाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड [illegible] किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:13:56 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) जिला-हनुमानगढ़